2024:सीजीएचसी:29471–डीबी

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट अपील क्रमांक 479/2024

रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय भवन, बोदरी, पोस्ट –उच्च न्यायालय शाखा, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

1. फणेन्द्र कुमार बिसेन, पुत्र स्व. सोमन लाल बिसेन, उम्र लगभग 54 वर्ष, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत, निवासी एफ–3/4, उच्च न्यायालय कॉलोनी, पोस्ट चकरभाटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)
2. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, जिला रायपुर, (छ.ग.)

..... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु : श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र.1 हेतु : श्री सी. जयंत के. राव, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्र. 2 और 3/राज्य हेतु : श्री संघर्ष पांडे, शासकीय अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश, द्वारा

07.08.2024

1. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे को सुना गया। साथ ही उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सी. जयंत के. राव और

राज्य/उत्तरवादी क्र. 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री संघर्ष पांडे को भी सुना गया।

2. रिट याचिका (सेवा) क्र. 3617/2019 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2024, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी क्र. 1 द्वारा दाखिल उपरोक्त रिट याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया है, को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता द्वारा यह रिट अपील दाखिल किया गया है ।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में आदेश दिनांक 24.01.1992 द्वारा सहायक ग्रेड–III के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की पत्नी ने दिनांक 29.07.1999 को परिवार नियोजन ऑपरेशन (महिला नसबंदी) करवाया था। परिवार नियोजन ऑपरेशन के आधार पर याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 23.08.1999 के द्वारा दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। याचिकाकर्ता को उपरोक्त लाभ दिसंबर, 2004 तक प्राप्त हुआ । तत्पश्चात, आदेश दिनांक 19.01.2005 के द्वारा याचिकाकर्ता को 4000–100–6000/– रुपये के वेतनमान में सहायक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया गया, किन्तु याचिकाकर्ता को अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। यहां तक की आदेश दिनांक 28.12.2005 द्वारा भी याचिकाकर्ता का वेतनमान निर्धारित कर दिया गया है, किन्तु परिवार नियोजन ऑपरेशन के आधार पर उपरोक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किया गया है और इस प्रकार याचिकाकर्ता को अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धि को जारी रखने के लिए उत्तरवादी क्र. 3 के समक्ष दिनांक 18.09.2018 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसे उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा आदेश 30.01.2019 के द्वारा निराकृत या गया है, जिसमें विधि विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2018 का संदर्भ दिया गया है। अतएव, याचिकाकर्ता ने आदेश दिनांक 30.01.2019, जिसके द्वारा उसके दो अग्रिम वेतन वृद्धि जारी रखने के दावे को निरस्त कर दिया गया है, को चुनौती देते हुए रिट याचिका (सेवा) क्र. 3617/2019 दाखिल किया है, उक्त रिट याचिका का निराकरण विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 15.06.2024 के अधीन किया गया, जिसमें कि उत्तरवादीगण को, याचिकाकर्ता द्वारा 07.10.2015 तक अर्जित अग्रिम वेतन वृद्धि पर विचार करते हुए, उसके वेतन का निर्धारण करने का निर्देश दिया गया। वेतन निर्धारण और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परिणामी लाभों के परिणामस्वरूप उन्हें देय बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उक्त आक्षेपित निर्णय दिनांक 15.06.2014 से व्यथित होकर अपीलार्थी/उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा वर्त्तमान अपील दाखिल किया गया है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश इस तथ्य का विवेचन करने में विफल रहे हैं कि अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2018 को जारी ज्ञापन के तारतम्य में उत्तरवादी राज्य सरकार के संबंधित विभाग ने अपने पत्र/ज्ञापन दिनांक 28.12.2018 द्वारा अपीलार्थी उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा दी गई सूचना/मत के अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 1 को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया गया अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ केवल वेतनमान के अगले पुनर्निर्धारण तक प्रचलित वेतनमान पर ही उपलब्ध होगा। आगे, चूंकि इस संबंध में नियमों के अधीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ जारी रखने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः प्रशासनिक विभाग के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया है कि परिवार नियोजन ऑपरेशन के आधार पर अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करते समय, नियमों के अनुसार, उक्त वेतन वृद्धि उत्तरवादी क्र. 1 के मूल वेतन में जोड़ दी गई थी और तदनुसार उक्त मूल वेतन पर उसे अन्य लाभ दिए गए थे। आगे, उच्च वेतन पर पदोन्नति/नियुक्ति प्रदान करते समय, अग्रिम वेतन वृद्धि सहित उसे पूर्व में प्रदान की गई वेतन वृद्धि पर विचार किया गया और तदनुसार उसका वेतन उस चरण पर निर्धारित किया गया, जहाँ वह पदोन्नत पद के वेतनमान के चरण पर पहुंच गया था। चूंकि अग्रिम वेतन वृद्धि पहले ही उसके पूर्व पद/वेतनमान के मूल वेतन में शामिल थी तथा पदोन्नत पद पर उसका वेतन निर्धारित करते समय उक्त मूल वेतन (अग्रिम वेतन वृद्धि सहित) पर विचार किया गया तथा तदनुसार उसका वेतन निर्धारित किया गया था, अतः आगे अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. श्री परांजपे ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका पर निर्णय करते समय इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सेवा) क्र. 4486/2005, **ए.के. केशरवानी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य** में पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने रिट याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए स्वीकार किया था कि मौलिक नियमों के खंड–9 (23) (क) और (ख) में प्रागणित किसी भी

परिस्थिति के अधीन याचिकाकर्ता को प्रदान की गई अग्रिम वेतन वृद्धि को उसे प्रदान की गई व्यक्तिगत वेतन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि **ए.के. केशरवानी** (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने **2001(5) एम.पी.एच.टी. 295 (डीबी) में प्रकाशित डॉ. श्रीमती विजया कोथलकर, उज्जैन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और तीन अन्य** के मामले में उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के निर्णय का अवलंब लिया था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने उसी स्थिति पर विचार किया था । उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि **डॉ. श्रीमती विजिया कोथलकर** (उपरोक्त) के मामले में शामिल विवाद्यक के संबंध में, रिट याचिका क्र. 2036/2002, मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध डी.डी. डेखने एवं अन्य के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ का विरोधाभासी दृष्टिकोण था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दो अग्रिम वेतन वृद्धि विशेष वेतनमान का लाभ के रूप में प्रदान की गई थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को विशेष वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है , वह वेतनमान में संशोधन होने पर उक्त लाभ प्राप्त करेगा । दो खंडपीठों की इन परस्पर विरोधी मतों की दृष्टि में , एक अन्य खंडपीठ ने विधि के निम्नलिखित प्रश्न को पूर्ण न्यायपीठ को संदर्भित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "क्या पदोन्नति या उच्च वेतनमान के भुगतान की स्थिति में, कर्मचारी पिछले वेतनमान या संवर्ग में भुगतान की गई अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ का अधिकारी है ? "

7. श्री परांजपे ने तर्क प्रस्तुत किया है कि 2006(2) एम.पी.एल.जे. 374 में प्रकाशित एम.पी. राज्य एवं अन्य विरुद्ध आर.के. चतुर्वेदी एवं अन्य के मामले में, उपर्युक्त विधि के प्रश्न को निर्णित किया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कर्मचारी अपनी पदोन्नति की स्थिति में या उच्च वेतनमान के भुगतान की स्थिति में अग्रिम वेतन वृद्धि का कोई और लाभ का दावा नहीं कर सकता है और वर्तमान मामले में भी यही अनुपात लागू होगा।

8. दूसरी ओर, उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सी. जयंत के. राव ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का खंडन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि दो अग्रिम वेतन वृद्धि जारी रखने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है तथा मुख्य विरोधी पक्ष राज्य सरकार है तथा राज्य ने आक्षेपित आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं किया है। उन्होंने यह

भी तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को संशोधित वेतनमान का लाभ केवल उस तिथि तक दिया गया है, अर्थात दिनाँक 07.10.2015 तक, जब राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ को रोकने के लिए ज्ञापन जारी किया गया था, इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा रिट अपील के साथ संलग्न आक्षेपित आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया।

10. जहाँ तक उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दो अग्रिम वेतन वृद्धि जारी रखने के उनके मामले पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया है तथा मुख्य विरोधी पक्षकार राज्य सरकार है तथा राज्य ने संबंधित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं किया है, इस न्यायालय द्वारा उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से एक स्पष्ट प्रश्न पूछा गया कि 19.01.2005 से दो अग्रिम वेतन वृद्धि रोके जाने के बाद, जब याचिकाकर्ता को सहायक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया गया, तब उक्त स्थिति को तत्काल चुनौती क्यों नहीं दी गई और 13 साल बीत जाने के बाद, उसने केवल 18.09.2018 को अभ्यावेदन दिया, वह भी उच्च न्यायालय का कर्मचारी होने के नाते, जिस पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. आक्षेपित आदेश और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को निर्णित करते समय इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट याचिका (सेवा) क्र. 4486/2005, ए.के. केशरवानी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय का अवलंब लिया है, जिसके द्वारा इस न्यायालय ने रिट याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए स्वीकार किया था कि मौलिक नियमों के खंड–9 (23) (क) और (ख) में प्रागणित किसी भी परिस्थिति के अधीन याचिकाकर्ता को प्रदान की गई अग्रिम वेतन वृद्धि को उसे प्रदान की गई व्यक्तिगत वेतन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह आगे प्रकट होता है कि **ए.के. केशरवानी** (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने **डॉ. श्रीमती विजया कोथलकर** (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के निर्णय का अवलंब लिया था, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने उसी स्थिति पर विचार किया था । **डॉ. श्रीमती विजिया कोथलकर** (उपरोक्त) के मामले में शामिल विवाद्यक के संबंध में, **डी.डी. डेखने**

(उपरोक्त) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ का विरोधाभासी दृष्टिकोण था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दो अग्रिम वेतन वृद्धि विशेष वेतनमान का लाभ के रूप में प्रदान की गई थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को विशेष वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है, वह वेतनमान में संशोधन होने पर उक्त लाभ प्राप्त करेगा । दो खंडपीठों की इन परस्पर विरोधी मतों की दृष्टि में, उक्त विवाद्यक को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की पूर्ण न्यायपीठ को संदर्भित किया गया है तथा **आर.के. चतुर्वेदी** (उपरोक्त) के मामले में, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश की पूर्ण न्यायपीठ ने उक्त विवाद्यक पर विचार करते हुए निम्नलिखित अवलोकन किया है:

> "4. रिट याचिका पर सुनवाई कर रही खंड पीठ के समक्ष, उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से विजया कोथलकर विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2001 (5) एम.पी.एच.टी. 295 (डीबी) = 2001(3) एमपीएलजे 469 में इस न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय का अवलंब लिया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के समय पदधारी द्वारा पहले से प्राप्त वेतन वृद्धि को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो यह पदधारी को उसके द्वारा प्राप्त लाभ से वंचित करने के समान होगा। रिट याचिका पर सुनवाई कर रही खंड पीठ के समक्ष, याचिकाकर्तागण की ओर से मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध डी.डी. डेखने व अन्य, रिट याचिका क्र. 2036/02, में खंड पीठ के एक अन्य निर्णय का अवलंब लिया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दो अग्रिम वेतन वृद्धि विशेष वेतनमान का लाभ के रूप में प्रदान की गई थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को विशेष वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया है, वह वेतनमान में संशोधन होने पर उक्त लाभ प्राप्त करेगा। दो खंडपीठों की इन परस्पर विरोधी मतों की दृष्टि में, खंडपीठ ने विधि के निम्नलिखित प्रश्न को पूर्ण न्यायपीठ को संदर्भित किया है:
>
> > "क्या पदोन्नति या उच्च वेतनमान के भुगतान की स्थिति में, कर्मचारी पिछले वेतनमान या संवर्ग में भुगतान की गई अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ का अधिकारी है ? "
>
> 9. मध्य प्रदेश मूलभूत नियम के नियम 27 में उपबंधित है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी शासकीय सेवक को समयमान वेतनमान पर समयपूर्व

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वेतनवृद्धि प्रदान कर सकता है, जो सरकार द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन है। मध्य प्रदेश शासन ने म.प्र. मूलभूत नियम के नियम 27 के अंतर्गत दिनांक 29–1–1979 को एक परिपत्र जारी कर परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए समयमान वेतन पर कार्यरत शासकीय सेवक को दो अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किया है। उक्त परिपत्र दिनांक 29–1–1979 के अन्तर्गत प्रदान की गई अग्रिम वेतन वृद्धि सरकारी कर्मचारी को भुगतान किए जाने वाला अतिरिक्त वेतन हैं तथा ऐसे अतिरिक्त वेतन देने का विचार उसके व्यक्तिगत हित में है, अर्थात् उसके या उसकी पत्नी द्वारा कराया गया परिवार नियोजन ऑपरेशन के हित में । अतएव, ये अग्रिम वेतन वृद्धि नीचे उद्धृत म. प्र. मूलभूत नियम के नियम 9. (23) में परिभाषित "व्यक्तिगत वेतन" को स्थापित करती हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> (23) "व्यक्तिगत वेतन" से तात्पर्य है अतिरिक्त वेतन जो शासकीय सेवक को स्वीकृत किया गया है –
>
> (अ) पदावधि पद के अतिरिक्त स्थायी पद के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही के अन्यथा वेतन के पुनरीक्षण अथवा ऐसे मौलिक वेतन में किसी हानि से उसे बचाने हेतु ; या
>
> (ब) आपवादिक परिस्थितियों में अन्य वैयक्तिक प्रतिफल पर।

'व्यक्तिगत वेतन' की उपरोक्त परिभाषा यह भी स्पष्ट करती है कि यह एक अतिरिक्त वेतन है जो किसी सरकारी कर्मचारी को वेतन संशोधन के कारण होने वाले मूल वेतन की हानि से बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। अतः, वेतन संशोधन के समय, वह उसे प्रदान की गई उक्त अग्रिम वृद्धि का नुकसान नहीं उठा सकता ।

12. परिणामस्वरूप, खंड पीठ बेंच द्वारा हमें संदर्भित किए गए प्रश्न का हमारा उत्तर यह है कि जिस कर्मचारी का वेतन म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के नियम 7 के उपनियम (1) के अनुसार दिनांक 1–1–1986 के प्रभाव से संशोधित किया गया है, उसे परिपत्र दिनांक 29–1–1979 के अंतर्गत परिवार नियोजन ऑपरेशन के लिए प्रदान की गई अग्रिम वेतन वृद्धि

का लाभ स्वतः ही मिल जाता है और एक बार उसका पुनरीक्षित वेतनमान मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के नियम 7 के उपनियम (1) के उक्त प्रावधानों के अनुसार निर्धारित हो जाने पर, वह अपनी पदोन्नति की स्थिति में या उच्च वेतनमान के भुगतान की स्थिति में अग्रिम वेतन वृद्धि का कोई और लाभ का दावा नहीं कर सकता।

12. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश के पूर्ण पीठ द्वारा आर.के. चतुर्वेदी (उपरोक्त) में पारित निर्णय के आलोक में, यह सुस्पष्ट है कि एक बार कर्मचारी का पुनरीक्षित वेतनमान म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 के नियम 7 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित हो जाने पर, वह अपनी पदोन्नति की स्थिति में या उच्च वेतनमान के भुगतान की स्थिति में अग्रिम वेतन वृद्धि का कोई और लाभ का दावा नहीं कर सकता। वर्त्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को प्रारंभ में आदेश दिनांक 24.01.1992 द्वारा सहायक ग्रेड–III के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की पत्नी ने दिनांक 29.07.1999 को परिवार नियोजन ऑपरेशन (महिला नसबंदी) करवाया था। परिवार नियोजन ऑपरेशन के आधार पर याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 23.08.1999 के द्वारा दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। याचिकाकर्ता को उपरोक्त लाभ दिसंबर, 2004 तक प्राप्त हुआ । तत्पश्चात, जब आदेश दिनांक 19.01.2005 के द्वारा याचिकाकर्ता को 4000–100–6000/– रुपये के वेतनमान में सहायक ग्रेड–II के पद पर पदोन्नत किया गया, तो उसे पूर्व में प्रदान की गई दो वेतन वृद्धि पर विचार किया गया और तदनुसार उसका वेतन उस चरण पर निर्धारित किया गया, जहाँ वह पदोन्नत पद के वेतनमान के चरण पर पहुंच गया था। चूंकि अग्रिम वेतन वृद्धि पहले ही उसके पूर्व पद/वेतनमान के मूल वेतन में शामिल थी तथा पदोन्नत पद पर उसका वेतन निर्धारित करते समय उक्त मूल वेतन (अग्रिम वेतन वृद्धि सहित) पर विचार किया गया तथा तदनुसार उसका वेतन निर्धारित किया गया था, अतः आगे अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, अतः, हमारा यह सुविचारित मत है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका को निर्णित करते समय मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया है और इस प्रकार, आक्षेपित आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि किया गया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. तदनुसार, रिट अपील को **स्वीकार** किया जाता है और रिट याचिका (सेवा) क्र. 3617/2019 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15.06.2024 को अपास्त किया जाता है और रिट याचिका को तदनुसार खारिज किया जाता है।

सही /-
(पार्थ प्रीतम साहू)
न्यायाधीश

सही /-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधीश

शीर्ष नोट

कर्मचारी द्वारा अपने पदोन्नति के पश्चात या वेतन पुनरीक्षण के पश्चात अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ को जारी रखने का दावा नहीं किया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**